पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

कवालिया दरा

ग्राम पंचायत - कवालिया दरा

तहसील व ब्लॉक - बिछीवाड़ा

जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गांव का इतिहास - कवालिया दरा गांव लगभग 1000 वर्ष पहले बसा था। यहां पर कवालिया गांव का एक आदिवासी सबसे पहले आया और सपरिवार रहने लगा। क्योंकि वह कवालिया नामक गांव से आया था और आस-पास दर्रे हुआ करते थे, इसलिए गांव का नाम कवालिया दरा पड़ गया। गांव के आदिवासी लोग प्रकृति के निकट रहना पसंद करते थे। उन्हें बाकी दुनिया से कोई लेना-देना नहीं था। वे लोग प्रकृति को पूजते थे। आज भी गांव में कोई मंदिर नहीं है।

गांव का परिचय - जिला मुख्यालय डूंगरपुर से लगभग 51 किलोमीटर दूर कवालिया दरा गांव बसा हुआ है, जिसकी ग्राम पंचायत कवालिया दरा और ब्लॉक तथा तहसील बिछीवाड़ा है। गांव का पूरा रकबा लगभग 3242 बीघा है। गांव की कृषि जमीन 1652 बीघा, बेनामी जमीन 1505 बीघा और जंगल की जमीन 85 बीघा है। गांव में मात्र आदिवासी समुदाय के लोग ही रहते हैं, जिनमें भील, गमेती, खराड़ी, वरहात, ननोमा, भगोरा, पांडोर और तबियाड आदि है। गांव की अधिकांश जमीन ऊबड़-खाबड़ पथरीली और पहाड़ियों की ढलान वाली है। गांव की थोड़ी बहुत जमीन समतल भी है। लोग दूर-दूर बसे हुए हैं। खेतों में सिंचाई के साधनों की कमी है और जमीन ढलान वाली होने से मात्र एक ही फसल बरसात में हो पाती है। गांव के कुछ लोग सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करके दो फसल उगा लेते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मक्का, गेहूं, धान, तुवर, चना आदि होते हैं। अधिकांश लोग जो उत्पादन करते हैं, उससे 4 से 6 महीने खाने भर का अनाज होता है। शेष समय के लिए अनाज बाजार से खरीद कर लाना पड़ता है। गांव में राशन की दुकान नहीं है। राशन की दुकान पंथाल में है। पंथाल गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। इसलिए आवागमन के साधनों की कमी से गांववासियों का एक दिन राशन लाने में ही निकल जाता है। गांववासी सामान्यतः गाय, भैंस, बैल, बकरी आदि जानवर पालते हैं, जिन्हें भूसा एवं चारा खिलाते हैं। चारा भी फरवरी माह तक समाप्त हो जाता है। इसलिए मार्च से जुलाई तक चारे की आपूर्ति के लिए है बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। गांव में शिलालेख 15 मई 2018 को हुआ और गांव सभा का गठन 21 सितंबर 2018 को हुआ था। वागड़ मजदूर किसान संगठन द्वारा समय-समय पर पेसा जागरूकता कार्यक्रम और सम्मेलन आदि आयोजित किए जाते हैं। इसलिए कुछ गांववासियों को पेसा कानून की जानकारी है। गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 127 और अध्यापकों की संख्या 2 है। अध्यापकों की कमी के कारण विद्यालय में पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा है और बच्चे बीच में ही शिक्षा छोड़कर बाल श्रम में लग जाते हैं। गांव में उपचार की भी कोई व्यवस्था नहीं है। गांव का निकटतम सरकारी अस्पताल तलैया में है, जो गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। वहां तक निजी साधनों से जाना पड़ता है। कभी-कभी पैदल ही जाना पड़ता है। गम्भीर मरीजों के लिए 108 एंबुलेंस को फोन कर बुलाया जाता है। गांव का पशु चिकित्सालय भी तलैया में ही है।

आवागमन की स्थिति - जिला मुख्यालय डूंगरपुर से कवालिया दरा आने-जाने के लिए बिछीवाडा तक रोडवेज बस, जीप अथवा निजी साधन मिलते हैं। बिछीवाडा से निजी साधन जैसे जीप मिलते हैं, जो तलैया उतारते हैं। वहां से कवालिया दरा लगभग पांच किलोमीटर दूर है। तलैया से कवालिया दरा गांव में जाने-आने के लिए कोई साधन नहीं चलता है। इसलिए पैदल ही आना जाना पड़ता है। गांव की मुख्य सड़क से गांव के फलों तक

जाने-आने के लिए कहीं कच्ची सड़क, कहीं ऊबड़-खाबड़ पगडंडी और कहीं-कहीं टूटी-फूटी सीसी सड़क है। डूंगरपुर से बिछीवाडा और आगे तलैया तक निजी साधनों में जाने-आने पर यह तकलीफ होती है कि उसमें ओवरलोड सवारियां बिठाई जाती है और उनका कोई कमर्शियल लाइसेंस अथवा बीमा नहीं होता है। किसी भी अनहोनी की स्थिति में गांववासियों को किसी प्रकार का मुआवजा अथवा बीमा नहीं मिलता है। गांव के फलों में लोग दूर-दूर बसे हुए हैं। कुछ लोग पहाड़ियों पर भी बसे हुए हैं। घरों तक आने जाने के लिए सड़क और साधन दोनों के अभाव में परेशानी होती है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति - गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 127 और अध्यापकों की संख्या सिर्फ दो है। अध्यापकों की कमी और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण विद्यालय में पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता है और बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ बालश्रम में लग जाते हैं। गरीबी के कारण अभिभावक भी इसका विरोध नहीं करते हैं। कुछ दलाल लोग बालश्रम हेतु बालकों को लेकर जाते हैं। कुछ किशोरी बालिकाओं का बाल विवाह हो जाता है और उनकी पढ़ाई भी बीच में छूट जाती है। 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए तलैया जाना पड़ता है, जो लगभग 5 किलोमीटर दूर है। आवागमन के साधनों की कमी के कारण अधिकांश विद्यार्थी पैदल ही आते-जाते हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर पढ़ने के लिए बिछीवाड़ा और डूंगरपुर जाना पड़ता है। सामान्यतः बच्चे बिछीवाड़ा और डूंगरपुर में छात्रावास में अथवा किराए से कमरा लेकर रहते हैं। गांव में एक आंगनबाड़ी है, जिसकी स्थिति भी ठीक नहीं है। पोषाहार समय से नहीं मिलता है। पोषाहार के नाम पर जो मिलता है, वह गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है। गुणवत्तापूर्ण पोषाहार के अभाव में बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। घर पर भी भोजन संतुलित नहीं मिलने से कुपोषण की समस्या और बढ़ जाती है। कुपोषण की समस्या मात्र इस गांव की नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की है। गांव में इलाज की कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण इलाज करवाने लोगों को 5 किलोमीटर दूर तलैया जाना पड़ता है। आवागमन के साधनों की कमी के चलते पैदल अथवा निजी साधन से आना-जाना होता है। गम्भीर मरीजों को 108 एंबुलेंस से भी ले जाते हैं। लेकिन एंबुलेंस मुख्य सड़क तक ही आ पाती है, जहां से गांववासियों के घर लगभग 2 से 5 किलोमीटर दूर हैं। ऊबड़-खाबड़ और पथरीले रास्तों के कारण गंभीर मरीजों को झोली में डालकर अथवा चारपाई से मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है।

गांव की समस्याओं का विवरण-

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गांव की अधिकांश जमीन पथरीली, ऊबड़-खाबड़ और और असमतल है। कुछ जमीन समतल भी है। सिंचाई के साधनों की कमी के कारण गांव की अधिकांश जमीन पर मात्र एक ही फसल हो पाती है। कुछ लोग सिंचाई के साधनों की उपलब्धता के चलते दो फसल उगा लेते हैं। सामान्यतः लोग गेहूं मक्का धान, तुवर, उड़द, तिल्ली और चना आदि फसलें उगाते हैं। खेती में जो अनाज उगता है, वह लगभग 3 से 5 महीने खाने भर का होता है। शेष समय अनाज के लिए बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। गांव में मैसवो नाम की नदी गुजरती है। गांव में दो एनिकट बने हुए हैं। दोनों एनिकट टूटे और जर्जर हो जाने के कारण बरसात में ही नदी में पानी रहता है। शेष समय पानी बहकर निकल जाता है और नदी सूखी पड़ी रहती है।

गांव में अन्य जल स्रोत कुआं हैंडपंप और निजी बोरवेल है। गांव में पुराने कुएं हैं। उनका भू-जलस्तर नीचे चला गया है जिससे अधिकांश कुएं सूख गए हैं। हैंडपंप और बोरवेल में भी भूजल स्तर गहरा होने से गर्मी के दिनों में पानी कम आता है। वर्षा जल संरक्षण की गांववासियों को जानकारी नहीं है।

कृषि एवं रोजगार की स्थिति - गांव की अधिकांश कृषि भूमि ऊबड़-खाबड़ और पथरीली है, जिसमें मात्र बरसात में होने वाली एक ही फसल हो पाती है। कुछ ही लोगों के पास समतल भूमि है और सिंचाई की व्यवस्था भी है। जिससे वे लोग दो फसल उगा लेते हैं। कृषि से जो फसल उगती है, वह 3 से 5 महीने खाने भर की होती है। शेष समय के लिए उन्हें सरकारी राशन की दुकान अथवा निकटतम बाजार, जो गांव से 5 किलोमीटर दूर है, वहां से अनाज लाना पड़ता है। सामान्यतः फसल में लोग मक्का गेहूं धान तुवर उड़द दिल्ली और चना आदि उगाते हैं। उन्नतशील बीज नहीं होने के कारण फसल का उत्पादन कम होता है। कृषि एवं मजदूरी के अतिरिक्त गांव में रोजगार का अन्य कोई साधन नहीं है। जमीन ऊबड़-खाबड़, असमतल, पथरीली होने और सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने से आजीविका के लिए मात्र कृषि पर निर्भर रहने से भूखों मरने की स्थिति आ जाएगी। मजदूरी के दो विकल्प हैं- एक खुली मजदूरी और दूसरा मनरेगा में मजदूरी। मनरेगा में मजदूरी 100 दिन से कम ही मिल पाती है और भुगतान भी सामान्यतः 100 रुपये रोजाना से कम ही होता है। खुली मजदूरी के लिए गांव के लोग आस-पास के गांव में होने वाले निर्माण अथवा गुजरात के छोटे-मोटे शहरों में या महाराष्ट्र में मजदूरी करने जाते हैं। वहां पर भी महीने के पूरे 30 दिन काम नहीं मिलता है और भुगतान भी कम ही मिलता है। गांव के कुछ लोग जो स्वयं गरीब लाचार अथवा बीमार हैं और पत्नी भी कुपोषित और गर्भवती अथवा बीमार होने से रोजगार के साधनों के विकल्प के रूप में बच्चों से बाल श्रम करवाते हैं। सामान्यतः बच्चे बीटी कपास में कृषि कार्य करने के लिए जाते हैं। कुछ लोगों ने छोटा-मोटा खाने-पीने का सामान घर में रखा हुआ है, जिसे बेचकर होने वाली अल्प आय से जैसे-तैसे आजीविका चलाते हैं। गांव में जंगल की जमीन है। लोग लघु वन उपज में सीताफल, टिमरू और कंजरी आदि लाते हैं। लघु वन उपज भी आजीविका का ऐसा साधन नहीं है जिससे साल भर परिवार का भरण-पोषण हो सके। गांव के लगभग 15 लोग विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी करते हैं।

शासकीय योजनाओं से वंचितों की स्थिति- गांव में जमीनी स्तर पर कुछ सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री आवास योजना और शौचालय निर्माण बने हुए दिखते हैं, लेकिन आवास निर्माण के भुगतान में विलंब होने से परेशानी होती है। शौचालय निर्माण में भी भुगतान की समस्या है। कई लोगों ने शौचालय बनवा रखे हैं, किंतु पानी के अभाव में वे उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। शौचालय में पानी के अभाव खुले में शौच जाते हैं। गांव के कई वृद्ध लोगों को विधवा एवं एकल महिलाओं को मिलने वाली पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ को मिला था, लेकिन वह रुक गया है। विकलांग एवं अनाथ बच्चों की स्थिति भी ऐसी ही है। गांव के कुछ विकलांग जन विकलांग पेंशन से वंचित है और कुछ अनाथ बच्चों को पालनहार योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। गांव के कुछ लोगों को उज्जवला गैस कनेक्शन मिल गए हैं किंतु उन्हें रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं। गरीबी और गैस सिलेंडर भरवाने के लिए गांव से 18 किलोमीटर दूर बिछीवाड़ा जाना पड़ता है; इस कारण भी लोग

सिलेंडर रिफिल नहीं करवा पा रहे। गैस एजेंसी की गाड़ी सप्ताह में 1 दिन एक डेढ़ घंटे के लिए एक-एक गांव में आकर रूकती है। गैस एजेंसी की गाड़ी आने का समय भी नियमित नहीं है। गांव के अधिकांश लोगों को प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिल चुके हैं। ग्राम सेवक द्वारा अपने काम में लापरवाही करने के कारण गांववासियों के खेत की मिट्टी का मृदा परीक्षण नहीं हो पाता है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है या किस फसल के लिए वह योग्य है।

पशुपालन हेतु चारा और चारागाह की कमी - गांववासी बकरी, गाय, बैल, भैंस और भेड़ पालन करते हैं, लेकिन चारे के संकट के कारण पशु पालन करना मुश्किल होता है। गांव चारागाह कम है। चारागाह की जमीन पर कुछ लोगों का कब्जा है। इस कारण पशुपालन में लोगों की रुचि कम है। बैल रखना इसलिए जरूरी है कि जमीन ऊबड़-खाबड़ है और उस पर ट्रैक्टर से जोताई करना मुश्किल है। कुछ लोगों के पास दो-तीन गाय, दो-चार बैल और सात-आठ बकरियां हैं। मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था वर्ष भर नहीं हो पाती है। मार्च के बाद चारे की किल्लत के कारण पशु बहुत कमजोर हो जाते हैं। गर्मियों में पशुओं के पीने के पानी की समस्या भी एक संकट है।

गांव में उपलब्ध संसाधन, गांव में संसाधनो की स्थिति उनकी हालत और संभावनाएं -

क्र	संसाधन	संसाधनो की स्थिती	संभावनाएं
1	जल नदी नाले एनीकट कुए हैंडपंप ट्यूबवेल	गांव से एक नदी मैसवो निकलती है, जिस पर दो एनीकट बने हैं। एनिकट का निर्माण गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण दोनों टूट गए हैं। एनिकट के जर्जर होने से उसमें पानी नहीं टिकता है। गांव में नदी के अतिरिक्त कुछ नाले हैं। नालों में मात्र बरसात में ही पानी रहता है। बरसात के बाद पानी सूखने लगता है और ठंड आने तक बिल्कुल सूख जाता है। गांव में कुछ पुराने कुँए हैं और लगभग हर पांचवें घर में लोगों ने निजी बोरवेल लगवा रखे हैं। गांव का भू-जलस्तर नीचे चला गया है। जिसके कारण गांव के लगभग 80% जल संसाधन गर्मी के दिन में सूख जाते हैं।	जल संसाधनों जैसे नदी पर एनीकट या बांध बनाकर पानी रोका जा सकता है। कुओं की मरम्मत की जा सकती है। वर्षा जल संरक्षण करके जल संसाधनों को रिचार्ज किया जा सकता है। घरों पर भी वर्षा जल संरक्षित करके उसे पीने योग्य बना कर पेयजल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जल संरक्षण से गांव के जल संसाधनों का जलस्तर बढ़ेगा और गर्मी में भी पानी का संकट कम हो जाएगा।
2	जमीन	गांव की कुछ जमीन ऊबड़-खाबड़ है। कुछ जमीन समतल है। थोड़ी जमीन पहाड़ियों की ढलान वाली है। मात्र कुछ जमीन पर सिंचाई के साधन हैं और कुछ जमीन ढलान पर होने से वहां सिंचाई करना बहुत	ऊबड़-खाबड़ भूमि का समतलीकरण किया जा सकता है। पहाड़ियों की ढलान वाली जमीन पर जहां समतलीकरण संभव नहीं है, वहां की सीढ़ीनुमा खेत बनाकर उन्नत तकनीक का उपयोग कर सिंचाई करके

		मुश्किल है। सिंचाई के साधनों के अभाव में जमीन ऊबड़-खाबड़ और पथरीली होने से मात्र एक ही फसल हो पाती है। खेती की उन्नत तकनीक का ज्ञान नहीं होने से और भूमि की उर्वरता कम होने से भी उत्पादन कम ही होता है।	उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। नदी की उपजाऊ मिट्टी को खेतों में डालना, उन्नत बीज का उपयोग करना, कंपोस्ट खाद का उपयोग करना आदि ऐसे उपाय हैं, जिससे जमीन से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
3	**जंगल**	गाँव में जंगल की जमीन है, पर जंगल जब से वन विभाग के कब्जे में आया है, उजड़ गया है। सागवान, कंजरी और टीमरू के कुछ पेड़ बचे हैं। सीताफल के पेड़ भी हैं। जंगल की शेष जमीन खाली ही है।	जंगल पर गांव सभा का कब्जा करके वन में फलदार और लघु वन उपज देने वाले वृक्ष लगा कर तथा बरसात के पानी को संरक्षित कर जंगल फिर से हरे-भरे किये जा सकते हैं। औषधीय गुणों वाले पौधे लगाकर भी लघु वन उपज प्राप्त की जा सकती है।

गांव सभा द्वारा चिन्हित समस्याएं, उनका सार्वजनिक/व्यक्तिगत वर्गीकरण, कारण एवं प्रस्तावित समाधान-

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गांव की जमीन ऊबड़-खाबड़ होने के कारण और पहाड़ी भूमि होने से रास्ता बनाने में असुविधा और कठिनाई होती है। रास्ते का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं पंचायत द्वारा किया जाता है। लेकिन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण गुणवत्तापूर्ण रास्ते नहीं बनते हैं। मानकों के अनुरूप और गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं होने से रास्ते एक बरसात में ही टूट जाते हैं और टूटे हुए रास्तों की भी समय-समय पर मरम्मत नहीं होती है। इस कारण गांव में रास्ते की समस्या है। कभी-कभी गांव में रास्ता निर्माण के समय गांव वासी रास्ते के लिए जमीन	रास्ते की समस्या के समाधान के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं पंचायत और ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार को रोक कर गुणवत्तापूर्ण एवं मानकों के अनुरूप रास्ता निर्माण करवाना। निर्माण के समय निगरानी रखना। टूटे हुए रास्ते की समय पर मरम्मत करवाना। रास्ते के लिए जमीन संबंधी विवाद का शीघ्र निपटारा करना।	**तात्कालिक**

			नहीं देते हैं अथवा वन विभाग जंगल की जमीन बीच में आने के कारण रास्ता निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है।		
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	गांव के दो स्कूल में मात्र दो ही अध्यापक हैं। अध्यापकों की कमी और अन्य मूलभूत सुविधाएं जैसे शुद्ध पीने का पानी, बैठने के लिए कमरे, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय आदि की कमी के कारण विद्यालय में पढ़ाई का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। विद्यार्थियों को उनके कक्षा स्तर का ज्ञान नहीं है। गरीबी के कारण बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर ड्रॉप आउट होकर बाल श्रम करने लगते हैं। कुछ बालिकाओं का बाल विवाह होने से वह भी ससुराल चली जाती हैं और शिक्षा अधूरी रह जाती है	शिक्षा संबंधी समस्या के समाधान के लिए गांव के लोगों ने गांव सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव के अनुसार विद्यालय की समस्याओं को गांव विकास नियोजन के प्रस्ताव में शामिल कर पंचायत स्तरीय गांव विकास योजना में शामिल करवा कर उसका क्रियान्वयन करवाएंगे। साथ ही साथ शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को ज्ञापन देकर उस पर संख्या बल द्वारा दबाव बनाकर शिक्षा समस्या हल करवाएंगे।	**तात्कालिक**
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गांव के खेत ऊबड़-खाबड़ हैं। उनमें सिंचाई के साधन नहीं हैं। परंपरागत तकनीक से लोग खेती करते आ रहे हैं। गांव के किसानों के पास उन्नतशील बीज नहीं हैं। कंपोस्ट खाद भी नहीं है। छोटे-छोटे खेत हैं और उन्हें काबिज भूमि पर खातेदारी का हक भी नहीं मिला है।	खेतों का समतलीकरण करके उसमें नदी की उपजाऊ मिट्टी डालकर और खेती की आधुनिक तकनीक द्वारा उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। काबिज भूमि पर खातेदारी का हक प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से दावा करना और उसकी पैरवी करना।	**तात्कालिक**
4	**आवास**	**व्यक्तिगत**	गांव के कुछ लोग गरीबी के	पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार	**तात्कालिक**

	निर्माण, शौचालय निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबंधी समस्या		कारण आवास नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे लोगों को पहले आवास देने के स्थान पर आवास आवंटन उन लोगों को किया जाता है, जिन्होंने चुनाव में सरपंच की मदद की हो या रिश्वत के रूप में कोई रकम अदा की हो। आवास आवंटन शेष लोगों को हो भी जाता है तो उसके भुगतान के लिए पंचायत के चक्कर लगाने पड़ते हैं। शौचालय निर्माण का भुगतान करने में भी विलंब किया जाता है। कुछ लोगों की पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है। कुछ की स्वीकृत होकर बीच में ही बंद हो गई है।	को मिटाकर पात्र व्यक्तियों को आवास आवंटन करके आवास की किस्त का समय पर भुगतान करके और शौचालय का भी समय पर भुगतान करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। कुछ लोगों की पेंशन जिनका बीच में भुगतान रुका हुआ है, उनका प्रकरण देखकर तुरंत उसका समाधान कर भुगतान करवाना।	
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	कुछ गांववासियों को काबिज भूमि पर खातेदारी का हक मिल गया है, लेकिन अधिकांश लोगों को अपने कब्जे की भूमि का खातेदारी हक नहीं मिला है। अपनी अघोषित नीतियों के कारण काबिज भूमि पर खातेदारी का हक प्रदान करना सरकार ने बंद कर दिया है। गांववासियों के मन में यह भय व्याप्त है कि सरकार कभी भी उनकी जमीन छीन लेगी।	काबिज भूमि पर खातेदारी का हक प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से प्रकरण तैयार कर दावा करना। पट्टे की जिस जमीन का राजस्व विभाग ने पेनाल्टी लेना बंद कर दिया है, उसे कोर्ट में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करना। क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा। धारा 91 के अनुसार काबिज जमीन का नियमन करवाना। गांव सभा द्वारा सब के प्रकरण तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा कर उसकी पैरवी करना।	**दीर्घकालिक**
6	**जल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गांव में भू-जलस्तर काफी नीचे चला गया है। गांव के कुछ	पानी की समस्या की पूर्ति हेतु बरसात के पानी को रोककर	**तात्कालिक**

			हैंडपंप के पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है कि वह सूख गए हैं। इसका एक कारण यह भी है कि सामान्यतः हैंडपंप की खुदाई बरसात के मौसम में की जाती है और पाइप कम गहराई तक लगाए जाते हैं। जिससे गर्मी में भूजल स्तर गहरा होने पर हैंडपंप बंद हो जाते हैं।	पीने लायक करके पीना। हैंडपंप में आर. ओ. (रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरीफायर) प्लांट लगवाना। वर्षा जल संरक्षण की बेहतर योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन करना। बोरवेल से पानी निकालने पर गांव सभा का नियंत्रण करना।	

संसाधन, आकलन व S.W.O.T विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन			
कच्ची सड़क पक्की सड़क सी.सी. सड़क मजदूर मनरेगा	टूटी सड़कों की सही समय पर मरम्मत न होना। पंचायत का सड़क निर्माण व मरम्मत को लेकर उदासीन होना। भ्रष्टाचार का व्याप्त होना। मानदेय अनुसार व सही समय पर मजदूरी न मिलना। सड़क के लिए जमीन देने में लोगों का आपसी विवाद। रास्ता बनाते समय जंगल विभाग द्वारा अपनी जमीन बताकर रास्ता निर्माण में बाधा उत्पन्न करना।	मनरेगा के अंतर्गत ग्रेवल (कच्चे) रास्तों का निर्माण। ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाने का अवसर। सरकारी यातायात के साधन चलाने का अवसर। सड़क बनने और यातायात के साधन चलने पर मरीजों को लाने ले जाने और पढ़ने वाले बच्चों को आने-जाने में सुविधा।	जंगल विभाग से रास्ता निर्माण के लिए जमीन लेना। गांव सभा को मजबूत बनाना। गांव सभा के माध्यम से गांव वासियों को एकत्रित कर शासन पर दबाव बनाना। रास्ता निर्माण में पंचायत की उदासीनता और विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटना। निगरानी समिति द्वारा गांव में बनने वाले रास्ते की निगरानी करना और गांव सभा द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र देना।

जल -			
कुएं हैंडपंप नाले नदी तालाब एनिकट बोरवेल	बारिश का पानी संग्रहित करने की किसी भी योजना का न होना। एनिकट का गुणवत्तापूर्ण निर्माण न होना, जिससे नदी का पानी उसमें से पानी रिस कर निकल जाना। नाले, कुओं, हैंडपंप में पानी सूख जाना।	मनरेगा के तहत तालाब, कुएं, एनिकट निर्माण व मरम्मत का कार्य किया जा सकता है। बोरवेल पर नियंत्रण के नियम बनाये जा सकते हैं। बारिश का पानी रोकने की योजना बनाई जा सकती है। कुएं, हैंडपंप में पानी रीचार्ज किया जा सकता है। तालाब निर्माण किया जा सकता है।	पंचायत को जल संग्रहण के प्रति जागरूक करना। लोगों के बीच बारिश के पानी को इकठ्ठा करने की चेतना पैदा करना। गांव सभा मजबूत करना। विभिन्न जल सम्बन्धित विभागों में व्याप्त लापरवाही दूर करना।
आजीविका संवर्धन			
कृषि भूमि चारागाह मजदूरी मनरेगा सब्जी की खेती पशुपालन	कृषि भूमि का अधिकतर पथरीली व ऊबड़-खाबड़ होना। सभी लोगों के पास पर्याप्त भूमि का न होना। पशुओं के लिए पर्याप्त चारा न होना। मनरेगा के प्रति लोगों का उदासीन होना। सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध न होना। कृषि, बागवानी और पशुपालन की आधुनिक तकनीक का ज्ञान नहीं होना। पशुपालन में उन्नत नस्ल के पशुओं का	सरकार द्वारा आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर आजीविका संवर्धन। किसान हेल्प सेंटर से मदद प्राप्त करना। मिट्टी परीक्षण करवाकर जलवायु और मिट्टी के अनुकूल फसल लेना। भूमि समतलीकरण व भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। चारागाह जमीन का विकास कर चारा उगाया जा सकता है। छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी, मुर्गी या मधुमक्खी पालन किया	मनरेगा को मूल रूप में लागू करवाना। रोजगार की समस्या पर गांव सभा में चर्चा करना। पंचायत व मेट के भ्रष्टाचार को रोकना। गांव सभा को मजबूत करना। बैंक से आजीविका संवर्धन के लिए ऋण लेने में भ्रष्टाचार रोकना सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को हटाना।

	अभाव। खेती में उन्नतशील बीज का अभाव। जंगल को पुनर्जीवित करने की योजना का अभाव। आजीविका संवर्धन के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी का अभाव और उनके संचालन में लापरवाही और भ्रष्टाचार होना।	जा सकता है। एनिकट, तालाब में मछलीपालन किया जा सकता है। सब्जी की खेती की जा सकती है। मनरेगा के कार्यों की सामूहिक योजना बनाई जा सकती है।	
भूमि			
बिलानाम जमीन वन जमीन	बिलानाम भूमि अधिकार पत्र न मिलना। जंगल पर वन विभाग का कब्ज़ा होना। वन विभाग द्वारा मनमाने तरीके से पेड़ों की कटाई करना। वन समिति का वन के प्रति उदासीन होना।	बिलानाम भूमि के पट्टे के मांग की योजना बनाई जा सकती है। वन समिति द्वारा वन प्रबंधन की योजना बनाना। लघु वन उपज व फलदार पौधे लगाना। सामूहिक वन दावा लगाया जा सकता है।	ग्राम सेवक की लापरवाही से निपटाना। बिलानाम भूमि व वन दावे के लिए सामूहिक मांग की योजना बनाना। वन समिति व गांव सभा को मजबूत करना। लोगों को वन संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूक करना। बिला नाम जमीन पर से अवैध कब्जा हटाना।

गांव का नजरिया नक्शा

नजरिया नक्शा कवालिया दरा

गांव सभा द्वारा तैयार गांव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	पेंशन के संबंध में	
	वृद्धा पेंशन (नई)	36
	बंद वृद्धा पेंशन पुनः शुरू कराना	10
	विधवा पेंशन	0
	एकल नारी पेंशन	0
	विकलांग पेंशन	6
	पालनहार योजना 0 से 5 वर्ष	0
	पालनहार योजना 6 से 18 वर्ष	2
2	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना	24
	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना बकाया किस्त भुगतान	9
3	शौचालय के संबंध में नए आवेदन	18
	शौचालय के संबंध में बकाया भुगतान	0
4	**स्कूल के संबंध में** अध्यापकों की नियुक्ति नए कमरों का निर्माण व छत मरम्मत	2
5	**आंगनबाड़ी के संबंध में**	3
6	**उप-स्वास्थ्य केंद्र के संबंध में**	1
7	**राशन की दुकान के संबंध में** पंचायत भवन के पास उचित मूल्य की दुकान का भवन निर्माण	1
8	**सामुदायिक भवन निर्माण के संबंध में**	1
9	**रास्ता निर्माण के संबंध में** कच्ची सड़क (ग्रेवल) सी.सी. सड़क डामरीकरण	 6 6 2
10	**कैटेगरी 4 के कार्य**	153
11	**एनीकट निर्माण या मरम्मत के संबंध** मुड़ादरा के पास मैस्वो नदी पर पक्का एनिकट बेड़ादरा के पास (तुलसी राम / जीवा गमेती के घर के पास) पक्का एनिकट	2
12	**चेक डैम निर्माण के संबंध में** पक्के चेक डैम कच्चे चेक डैम	 5 75
13	नए हैंडपंप लगाने के संबंध में	16

	पुराने की मरम्मत करने के संबंध में	1
14	**विद्युतीकरण के संबंध में**	13
15	**आर.ओ. प्लांट के संबंध में** पनघट योजना के तहत संचर / किशनलाल गमेती के घर के पास	1
16	**नदी के दोनों तरफ रिंगवाल निर्माण के संबंध में**	2
17	**श्मशान घाट के संबंध में** टीन शेड और परकोटा निर्माण	2
18	वृक्षारोपण के संबंध में	16
19	सामाजिक कुरीतियों पर गांव सभा द्वारा रोक लगाने के संबंध में बाल श्रम, बाल विवाह, मौताणा, डायन प्रथा, महिला हिंसा	1
20	गांववासियों के आपसी झगड़े विवाद का निपटारा गांव सभा में करने के संबंध में	1
21	काबिज भूमि पर गांव सभा द्वारा सभी का व्यक्तिगत दावा करने के संबंध में	1
22	वन भूमि पर गांव सभा द्वारा सामुदायिक वन दावा और उसकी पैरवी करने के संबंध में	1

गांव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी

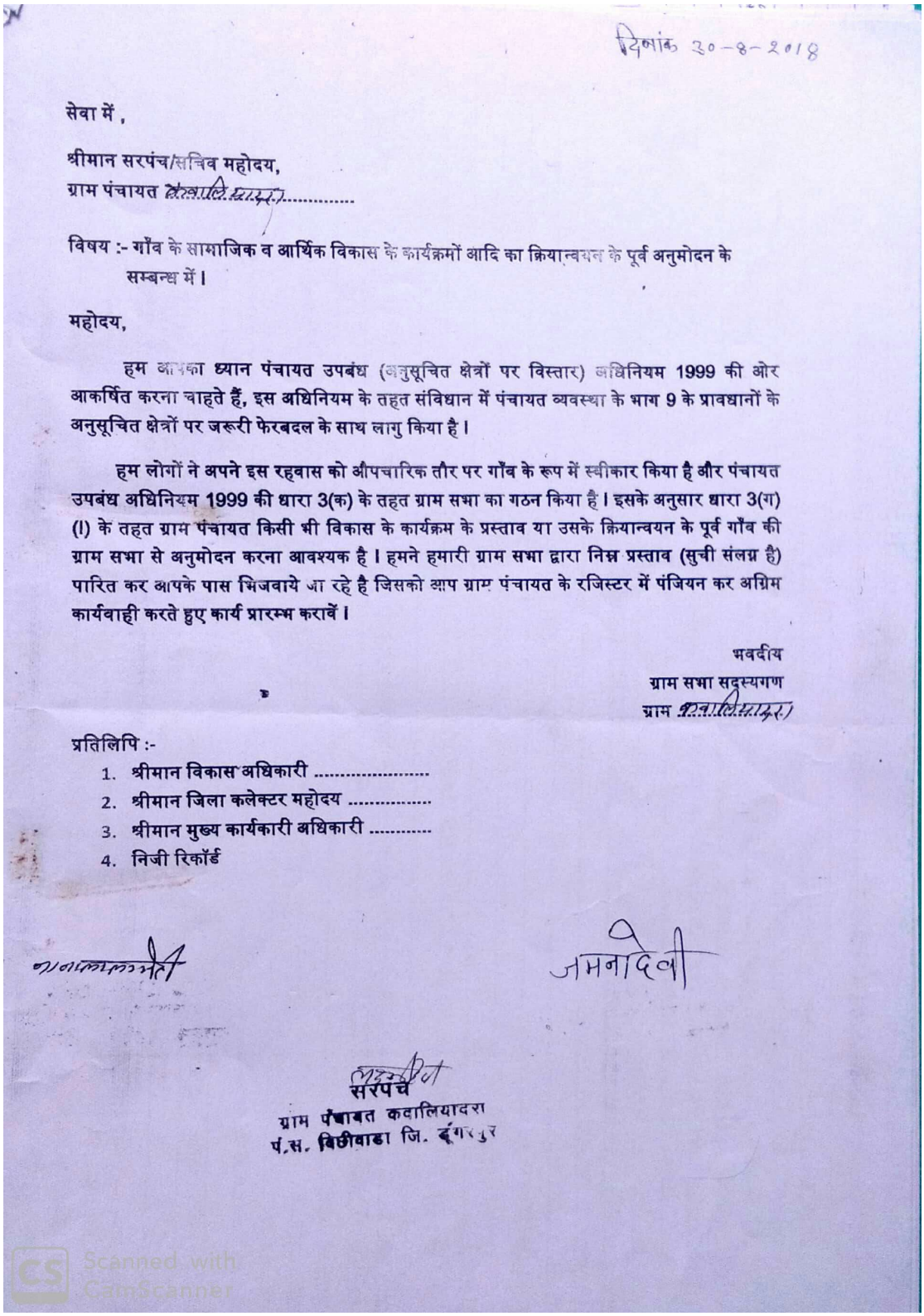

दिनांक 30-8-2018

सेवा में ,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत कदालियादरा.....

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग) (I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम कदालियादरा

प्रतिलिपि :-
1. श्रीमान विकास अधिकारी .....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय .....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी .....
4. निजी रिकॉर्ड

जमनादेवी

सरपंच
ग्राम पंचायत कदालियादरा
पं.स. बिछीवाडा जि. डूंगरपुर

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

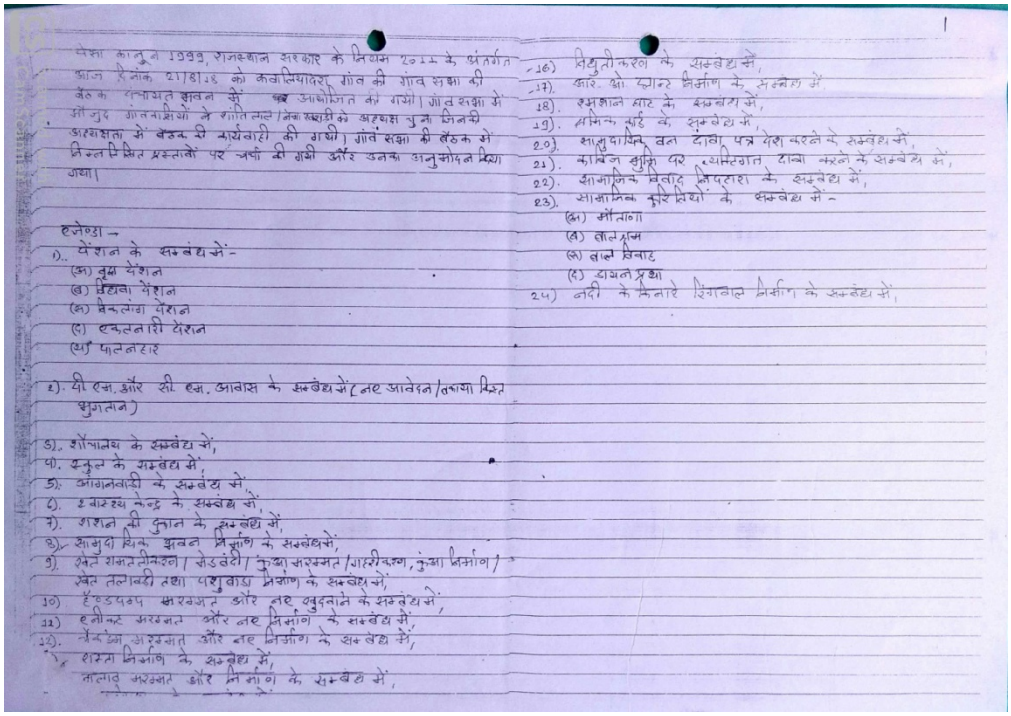

पेसा कानून 1999, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अंतर्गत आज दिनांक 21/8/18 को कवालियादरा गांव की गांव सभा की बैठक पंचायत भवन में आयोजित की गयी। गांव सभा में मौजूद गांववासियों ने शांतिलाल/नेवा खराड़ी को अध्यक्ष चुना जिनकी अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही की गयी। गांव सभा की बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गयी और उनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा –

1). पेंशन के सम्बंध में-
(अ) वृद्धा पेंशन
(ब) विधवा पेंशन
(स) विकलांग पेंशन
(द) एकलनारी पेंशन
(य) पालनहार

2). पी.एम. और सी.एम. आवास के सम्बंध में (नए आवेदन/बकाया किस्त भुगतान)

3). शौचालय के सम्बंध में,
4). स्कूल के सम्बंध में,
5). आंगनवाड़ी के सम्बंध में,
6). स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बंध में,
7). राशन की दुकान के सम्बंध में,
8). सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बंध में,
9). खेत समतलीकरण/मेडबंदी/कुआं मरम्मत/गहरीकरण, कुआं निर्माण/खेत तलावड़ी तथा पशुबाड़ा निर्माण के सम्बंध में,
10) हैण्डपम्प मरम्मत और नए खुदवाने के सम्बंध में,
11) एनीकट मरम्मत और नए निर्माण के सम्बंध में,
12). चैकडेम मरम्मत और नए निर्माण के सम्बंध में,
रास्ता निर्माण के सम्बंध में,
तालाब मरम्मत और निर्माण के सम्बंध में,

16) विद्युतीकरण के सम्बंध में,
17). आर.ओ. प्लान्ट निर्माण के सम्बंध में,
18). श्मशान घाट के सम्बंध में,
19). श्रमिक कार्ड के सम्बंध में,
20). सामुदायिक वन दावा पत्र पेश करने के सम्बंध में,
21). काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा करने के सम्बंध में,
22). सामाजिक विवाद निपटारा के सम्बंध में,
23). सामाजिक कुरितियों के सम्बंध में-
(अ) मौताणा
(ब) बालश्रम
(स) बाल विवाह
(द) डायन प्रथा
24) नदी के किनारे रिंगवाल निर्माण के सम्बंध में,

प्रस्ताव प्रथम पृष्ठ

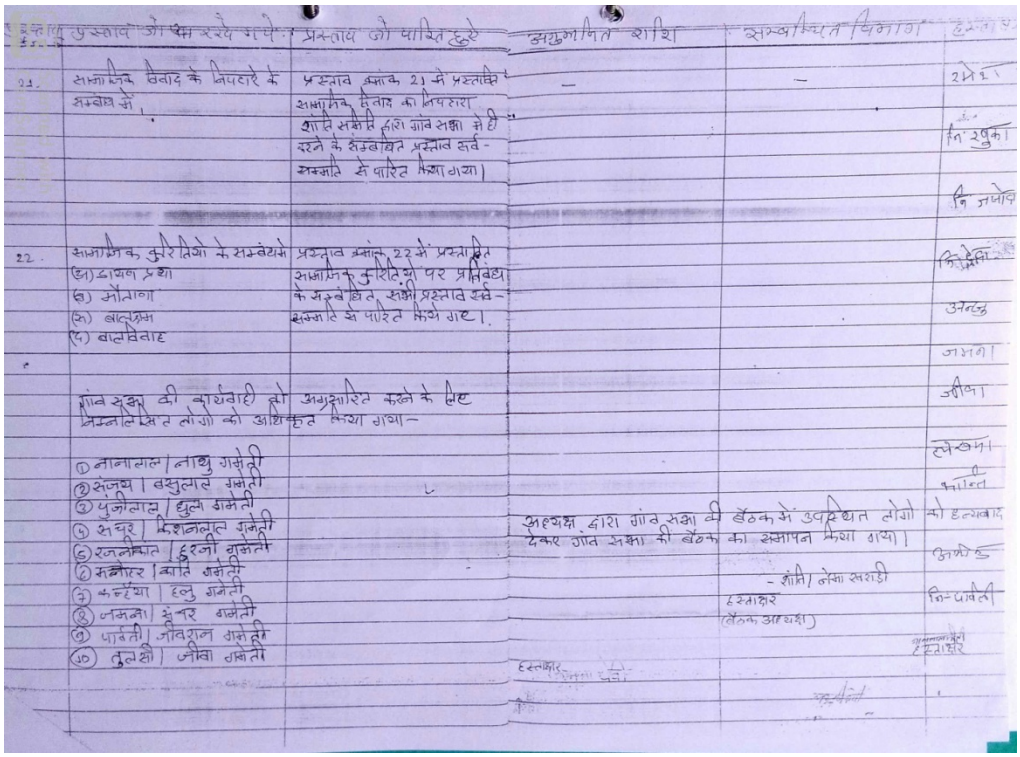

प्रस्ताव क्र.	प्रस्ताव जो पेश रखे गये	प्रस्ताव जो पारित हुऐ	अनुमानित राशि	सम्बन्धित विभाग	हस्ताक्षर
21.	सामाजिक विवाद के निपटारे के सम्बंध में,	प्रस्ताव क्रमांक 21 में प्रस्तावित सामाजिक विवाद का निपटारा शांति समिति द्वारा गांव सभा में ही करने के सम्बंधित प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित किया गया।	–	–	
22.	सामाजिक कुरितियो के सम्बंध मे (अ) डायण प्रथा (ब) मौताणा (स) बालश्रम (द) बालविवाह	प्रस्ताव क्रमांक 22 में प्रस्तावित सामाजिक कुरितियो पर प्रतिबंध के सम्बंधित सभी प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित किये गए।			

गांव सभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिए निम्नलिखित लोगो को अधिकृत किया गया–

1. नानालाल/नाथु गमेती
2. संजय/बसुलाल गमेती
3. पुंजीलाल/धुला गमेती
4. सचूर/किशनलाल गमेती
5. रजनीकांत/हरजी गमेती
6. मनोहर/कांति गमेती
7. कन्हैया/हलु गमेती
8. जमना/सुंदर गमेती
9. पार्वती/जीवराज गमेती
10. तुलसी/जीवा गमेती

अध्यक्ष द्वारा गांव सभा की बैठक में उपस्थित लोगो को धन्यवाद देकर गांव सभा की बैठक का समापन किया गया।

– शांति/नेमा खराड़ी
हस्ताक्षर
(बैठक अध्यक्ष)

हस्ताक्षर

प्रस्ताव अंतिम पृष्ठ

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (V.P.F.T.)

	नाम	फोन न.
1.	चंचरलाल गमेती	7023534828
2.	नानालाल गमेती	9001820572
3.	महेंद्र गमेती	9057265792
4.	नाथूलाल वरहात	9602958597
5.	अर्जुन तबियाड	9928864838
6.	जमना देवी	7023534828